

आवश्यक / महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिसमुदायालय, इलाहाबाद ।
सं २०-८-१९९९ दि ०५-१२ १९९९

सेवा में

१४ समस्त विमागाध्यक्ष एवं
कायलियाध्यक्ष उपरूप

पुलिस विभाग

विषयः— अमितेषाँ के रख-रखाव तथा नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशन ।

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव के अधीक्षासकीय पत्र संख्या रहित फि बनाँक 4-8-99 एवं उसके सैलग्नक प्रशासनिक सुधार अनुमान - I के शासनादेश संख्या 3339 त्रैतालिस - 1-92 - 378। ४८८ दिनांक 4-9-99 सचनार्थ एवं ओवश्यक कार्यवाही देतु अग्रसारित की जाती है

२-ज्ञातव्य है कि शासन ने संलग्न शासनादेश के प्रस्तर २ एवं ३ में स्पष्ट रूप से निर्देश प्रसारित कर अपेक्षा की है कि महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अभिलेखों को नियमानुसार क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से परिरक्षित किया जाय। उल्लेखनीय है कि संलग्न शासनादेश में विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को नष्ट किये जाने हेतु अलग-अलग अवधि निर्धारित की गई है।

उ-एसी स्थाति में अनुरोध है कि अपने अमिलेषां का सम्यक परीक्षण कर निधारित अवधि में विनष्ट किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि विमान के कार्यदक्षता पर कुप्राप्त न पड़ सके।

संलग्नकः – यथा परि

४. श्रमशोर सिंह चन्देल।
पुलिस उपाधीकाक, मुख्य अलय
अपर पुलिस महानिवेदक मु
3050

योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-

उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय एनेक्सी भवन,
लखनऊ -226001

लखनऊ: दिनांक : 04 अगस्त, 1999

प्रिय महोदय,

अभिलेखों का निर्दान विषयक प्रशासनिक सुधार अनुभाग-। के शासनादेश संख्या: 3339/प्रेतालिस-1-92-378/188 दिनांक 30 जनवरी, 1993 जो समस्त विभागाध्यक्षः एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को संबोधित है, का कृपया संदर्भ लें।

2- उपर्युक्त शासनादेश में विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के बीडिंग हेतु अलग अल समय अवधि निर्धारित की गई है। निर्धारित समय अवधि को दृष्टिगत रखाते हुये प्रत्येक कार्यालय के समस्त अभिलेखों की सम्यक छानबीन कराकर अनावश्यक अभिलेखों का बीडिंग कार्य समय समय पर कराया जाना अपेक्षित है। साथा ही यह भी अपेक्षित है कि महत्वपूर्ण और आवश्यक अभिलेखों को नियमानुसार क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से परिरक्षित किया जाय। इस संबंध में समय समय पर अनुसारणात्मक कार्यवाही के बावजूद केवल ऐसे कुछ एक कार्यालयों में ही इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही की गई है। अनावश्यक अभिलेखों के बीडिंग न किये जाने और आवश्यक अभिलेखों को सुव्यवस्थित क्रम से न रोजाने के परिणामस्वरूप विभागीय एवं जनसाधारणा को आवश्यकतानुसार यथोऽसमय उसे उपलब्ध कराना सम्भाव नहीं होता। इस कार्य में सभी का अनावश्यक समय नष्ट होता है। और इससे कार्यक्रमता पर बरा प्रभाव पड़ता है। यह किसी प्रकार उचित नहीं है। इस संबंध में जिताधिकारीं मधुरा ठारा किये गये सार्थक प्रयास की संक्षिप्त टिप्पणी संलग्न है।

3- इस पृष्ठभूमि में आपसे अनुरोध है कि कृपया नियमानुसार अभिलेखों का बीडिंग समय समय पर तेतपरता से कराया जाय। यह भी अनुरोध है कि आवश्यक अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से रखाने की दिशा में प्रभावी प्रयास कराया जाय। कृपया की गयी कार्यवाही से प्रशासनिक सुधार विभाग को अवगत करा दें। भावदीय, संलग्नक: उपर्युक्त।

ह० योगेन्द्र नारायण

समस्त प्रमुख /सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
समस्त विभागाध्यक्षाङ्
उत्तर प्रदेश।

समस्त मंडलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
समस्त जिताधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या ३३३९४१८ तेता निस-१-९२-३७४१८-८५ नम्रता को जात-१।
मिशनरी का उत्तिवाचक निवारण के लिए अपनी दृष्टि विकल्प सुनिश्चय दूर
गत वर्ष के अप्रैल में ब्रिटिश विदेशी संघर्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

दृष्टि के लिए उत्तर पक्ष के लिए एवं संयुक्त सचिव,

-2-

निरीक्षापात्र व्यवहार संस्तुत सामान्य अभिलेखों की बीड़िंग हेतु निर्धारित समय/अवधि
 क्रम अभिलेखों का नाम /विषय समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा रखा जाय/नष्ट किया जाय।

संख्या

विशेष
टिप्पणी

2

3

4

सामान्य पत्र व्यवहार

- 1- उपस्थिति पंजी प्रान्तीय फार्म नं 0161४ -- एक वर्ष तक
- 2- आकस्मिक अवकाश पंजी प्रमाणी ०३० १९८१ -- समाप्त होने के एक वर्ष बाद।
संस्करण, पैरा 1086
- 3- आडिट महालेखाकार/विभागीय आन्तरिक लेखांकितकारी व्यवहार की गई पत्रावलियाँ आपत्तियों के अंतिम समाधान के बाद अग्र आडिट होने तक।
- 4- आय-व्ययक अनुमान की पत्रावली इस वर्ष।
- 5- सरकारी धान, भांडार का अपहरणकर्ता, अंग्रेजीज्य वस्तुओं के निस्तारण आदि संबंधी पत्रावलियाँ।
- 6- डेक्स्ट्राक/कायशीलिंग वस्तुओं वस्तुओं वस्तुओं पत्र व्यवहार की गई पत्रावलियाँ स्ट्राक बुक में प्रविष्ट विभान्तराओं के हेतु क्रम की गई पत्रावलियाँ आदि के पत्र व्यवहार समाधान एवं तत्संबंधी आडिट आपत्तिय के समाधान के पश्चात एक वर्ष।
- 7- निरीक्षा टिप्पणियाँ सर्व उनके अनपालन उठाये गये छिन्दुओं दिये गये सझावावारों के संबंधी पत्र व्यवहार की संबंधित पत्रावलियाँ।
- 8- अधिकारों के माँग के प्रस्ताव एवं अधिकारों के प्रतिनिधान डेंटीगेशन आफ पावर्स के आदि इस से संबंधित पत्रावलियाँ।
- 9- प्रपत्रों के मुद्रण संबंधी पत्रावलियाँ आडिट आपत्तियों के अंतिम निस्तारण के पश्चात एक वर्ष।
- 10- लेखान सामग्रियों/प्रपत्रों के माँग पत्र इडेन्ट तीन वर्ष तक।
स्टेशनरी मैनेजर का पैरा-37 तथा 39 क्रमशः प्रान्तीय प्रपत्र 173 व 174।
- 11- दौरों के कार्यक्रम तथा दूअर डायरी यदि कोई एक वर्ष बाद या गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टियाँ पर्ण होने के बाद जो भी पह हो, फिन्चु योद्ध कोई प्रतिकल प्रविष्टियों से संबंधित हो तो उसे प्रत्येवेदनों के अंति निस्तारण के एक वर्ष बाद।
- 12- विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट व्यवहार एक प्रति स्थायी रूप से सुरक्षित रखी जायेगी। ऐसा प्रतिवेदन भावुक एवं उनकी पत्रावली।
- 13- वार्षिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध देते एकत्रित/प्राप्त प्रतिवेदन उपने/प्रकाशित हो जाने के एक व सामग्रियों तथा उनकी पत्रावली।
- 14- समेलनों/योष्ठायों/भीतिंगों का कार्यकृत्त एक प्रति स्थायी रूप से रखी जाय। इस तीन वर्ष तक।
- 15- विधान भूमि/विधान परिषद/लोक सभा/ पांच वर्ष किन्तु आशवासन समितियों को दिये आशवासनों की पूर्ति के पांच वर्ष बा विधान भूमि की पत्रावलियाँ।
- 16- नियमावलियों, नियम, विनियम, अधिनियम, प्रक्रिया, परिपाटी, प्रदत्ति तथा उनकी व्याख्या। स्थानी रूप से। संरोधन तथा उनकी पत्रावलियाँ।
- 17- कार्य के मानक/स्टैन्डर्ड/नार्म निर्धारण संबंधी - स्थायी रूप से।
- 18- साक्षीय सर्व विभागीय आदेश।

18- वीडिंग शोड्यून/अभिलेखा नियत्रण नियम/सची

19- शासनादेशों/विभागीय आदेशों की गार्ड फाइले।

20- प्राप्त स्वं प्राप्ताण पंजी प्रान्तीय फार्म नं १९४

21- पत्रावली पंजी/फाइल रजिस्टर/इन्डेक्स रजिस्टर प्रान्तीय प्रपत्र २० २१, २६ आदि।

22- स्टाई पत्रावलियों का रजिस्टर --

23- पीयून बुक प्रान्तीय फार्म नं ५।४

24- चालान बही इनवरायस प्रान्तीय फार्म नं ६। --

25- आवधिक/सामयिक विवरण पत्रों का रजिस्टर सची प्रिस्ट आफ पीरियाडिकल रिपोर्ट्स इन्डिस्ट्रीज

26- सरकारी डाक टिकट पंजी प्रान्तीय फार्म नं ०५२४

27- बिही जमा पत्रों की पंजी प्रेसमजी ०.३०० वर्ष १९८। संस्करण का पैरा ७७२।७४

28- सरकारी गजट --

29- सरकारी वाहनों की तागबुक तथा रनिंग रजिस्टर

30- समाप्त पंजियों की पंजी प्रजिस्टर आफ कम्पलीटेड रजिस्टर्स

31- अनिस्तारित पत्रों की सची/रजिस्टर प्रिस्ट आफ पाइंग रिफरेन्स

32- अनुसूचित जाति/जन जाति के आरक्षाण से संबंधित पत्रावली स्वं रेकर्ड

33- प्रशिक्षण से संबंधित पत्रावलियों --

34- रार्ट हैन्ड नोट बुक

35- टाइप राइटर मरम्मत रजिस्टर स्वं पत्रावलियों --

36- साईफिल मरम्मत रजिस्टर स्वं पत्रावलियों --

पुनर्जागोधान रिवीजन/परिवर्तन की संप्राप्त स्थायी स्थ से तथा रोषा तीन वर्ष तक। स्थायी स्थ से

पच्चीस वर्ष तक

रजिस्टर में वर्ज अस्थायी स्थ से सरकारी पत्रावलियों को न्यूट कर दिये जाने तथा स्थायी स्थ से शुद्धित रखे जाने वाली पत्रावलियों के रजिस्टर पर उतार दिये जाने के बाद। स्थायी स्थ से।

समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक।

समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक।

समाप्त होने के दो वर्ष बाद तक।

मस्त होने के तीन वर्ष बाद तक अथवा उसमें अंकित अवधि की आडिट आपत्ति के समाधान के पश्चात एक वर्ष।

वर्ज पत्रों के अंतिम निस्तारण हो जाने हुया समाप्त हो जाने और अवशोषा का दसरे रजिस्टर में उतार देने के बाद। डिवीजनेत कैमिशनर एवं जिता जज के कालयों को छोड़कर जहाँ गजट स्थायी स्थ से रखा जाता है। रोषा कार्यालयों में 20 वर्ष तक।

वाहन के निष्प्रयोज्य धारोषित होकर नीलाम बदारा निस्तारण के बाद तथा आडिट हो जाने के पश्चात एक वर्ष बाद तक धृदि कोई आडिट या निरीक्षण का आपत्ति निस्तारण हेतु रोषा नहा है।

किसी एक छांड मे वर्ज सभी पंजियों को नष्ट कर देने के बाद या किस अवशोषा पंजियों को दसरे रजिस्टर में उतार लिये जाने के तीन वर्ष बाद।

रजिस्टर समाप्त होने पर अवशोषा अनिस्तारित पत्रों को दसरे रजिस्टर पर उतार कर सत्यापन करने के एक वर्ष बाद। निस्तारित होने के 10 वर्ष बाद।

5 वर्ष म

। वर्ष।

निष्प्रयोज्य धारोषित हो जाने तथा अंतिम निस्तारण एवं महालेखाकार, उ०९ का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।

निष्प्रयोज्य धारोषित हो जाने तथा अनिस्तारण एवं महालेखाकार, उ००५ का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।

स्थापना/अधिकान-2

१- कर्मचारियों/अधिकारियों को निजी पत्रावलियाँ
पसन्न पत्रावलियाँ।

पेशान ली गतिम स्वीकृति के निजी पत्रावलियों व्यापार के स्थानान्तरण के साथा उसी प्रकार कायलिय में स्थानान्तरण की जानी चाहिए, जैसा सेवा-पुस्तकारे तथा गोपनीय आँखेयाएँ आदि स्थानान्तरण की जाती हैं।

२- शास्त्री/स्थानापन्न नियकिताओं हेतु माँगे - पाँच वर्ष तक नियकिताओं के

३- बाहन, साईकिल, गह निर्माण, सामान्य धाविक्य निवाह निर्दित आदि या इसी प्रकार के अन्य अग्रिमों से संबंधित पत्रावलियाँ।

प्रायः सामत्रों को छोड़कर जो स्थानीय स्थानों जायें अग्रिम की राशि व्याज सहित यदि कोई हो तो उसके शुगतान के पश्चात् एक वर्ष।

४- इनवैलिड पेशान स्वीकृति के ग्रामतो की पत्रावलियाँ।

पच्चीस वर्ष तक। पेशान, ग्रेज्यटी आदि की स्वीकृति के पाँच वर्ष बाद।

५- कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रातिनियक्ति रिपुटेशन पर नियुक्ति संबंधी पत्रावलियाँ।

६- ग्रेडेशन स्थानीय स्थान से।

७- सेवा पुस्तकारे/ सेवा नामावलियाँ —

वित्तीय नियम संग्रह छांड-2 मांग 2 से 4 के सहायक नियम 136-ए के अन्तरार।

८- शापथा/निष्ठा पंजी इंडियन रेजिस्टर आफ भोठा आफ संताजियेन्स राजाज्ञा स०-३१०५/बी-यो-१६३-५२ दिनांक २३-१-५४ तथा संख्या १२४१/दो-बी-१६३-६४, दिनांक १५-५-६४।

९- स्थापना आदेश पंजी इंडियन रेजिस्टर आर्डर बुक्स- स्थानीय स्थान से।

१०- स्थापना का वार्षिक संखात्मक विवरण राजाज्ञा तदैव

संख्या र-५६४/दस-१५/७/६२, दिन २४-२-६५ व्यवहार विधानित।

११- गोपनीय ब्रिटिश विद्यारित गोपनीय आँखेयाँ - सेवा निवृत्ति/पद त्याग या समाप्ति के तीन वर्ष बाद।

१२- सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के दूसरे वर्ष बाद।

१३- वित्तीय नियम संग्रह छांड-५ मांग-१ का पैरा १० वर्ष बाद।

१४- मूल पत्र व्यवहार १० वर्ष बाद।

१५- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

१६- सरकारी कर्मचारियों के पद छोड़ने के दूसरे वर्ष बाद।

१७- मूल पत्र व्यवहार १० वर्ष बाद।

१८- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

१९- सरकारी कर्मचारियों के पद छोड़ने के दूसरे वर्ष बाद।

२०- मूल पत्र व्यवहार १० वर्ष बाद।

२१- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

२२- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

२३- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

२४- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

२५- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

२६- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

२७- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

२८- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

२९- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

३०- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

३१- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

३२- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

३३- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

३४- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

३५- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

३६- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

३७- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

३८- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

३९- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

४०- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

४१- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

४२- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

४३- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

४४- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

४५- न्यायिक सत्यापन का पत्र - व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।

- 45- पेंगान, ग्रेटरटो, पारिवारिक पेंगान आदि की पत्रावली :
46- पारिवारिक/पारिवारिक स्वीकृति संबंधी पत्रावलियाँ।
47- राजस्वार्थी कर्मचारियों के पर्व चरित्र का सत्यापन :
वे रोड़े को-ए-राम भाफ करेकर एण्ड एन्टीसीडेन्ट्स
48- चौथान्न पदों के सूजन संबंधी पत्र-व्यवहार की -
49- नई मानों की अनुसूची संबंधी पत्रावलियाँ-
50- पेंगान कन्दोल रजिस्टर।
राजाज्ञा सं0-जी-2-3994/दस-927-
1958, दिनांक 10-2-64 में निधारित।
51- अनुसूचिक कर्मचारी रजिस्टर राजाज्ञा सं0
1284/सर. दी-99-60, दिनांक 10-11-4-1961
में निधारित।
52- प्रत्यावेदन/अपील नियवण पंजी
राजाज्ञा स07-2-1975-नियोजित।
दिनांक 4-7-73 में निधारित।
53- मालिक निवाह निधि के रजिस्टर-
1 नेजर
2 ब्राउ ग्राइट
3 इफेक्स
4 पास बुक
54- मतक सरकारी कर्मचारियों के आक्रितों की नियुक्ति -
संबंधी पत्रावली।
55- सेवाप्रेजन कार्यालयों के मार्गदर्शन से हुई नियुक्ति -
56- तैनाती/स्थानान्तरण से संबंधित पत्रावलियाँ -
57- दैनिक वेतन भागी कर्मचारियों की नियुक्ति -
58- किनारगीय घयन समिति से संबंधित पत्रावली -
59- गर्भियों के लिए वाटरमैन की नियुक्ति -
60- गर्भियों स्वं सर्वियों की वर्द्धा -

सेवानिवृत्ति की स्वीकृति या
मुश्तार्न के पश्चात् दर्श वर्ष।
मुश्तार्न, आडिट आपत्ति के अंतिम
निस्तारण तथा गोपनीय व्यवस्था
वर्ती में प्रविष्ट के एक वर्ष बाद
सेवा-निवृत्ति के 5 वर्ष बाद तक
पद का सूजन स्वीकृत होने पर स्था-
ल से अन्यथा 3 वर्ष।

सभी की एक प्रति स्थायी रूप से
रेखी जायेगी। इष्ट पत्रावली
स्वीकृति/अस्वीकृति के तीन वर्ष
बाद तक।
राजस्टर समाप्त होने के पाँच वर्ष
बाद। यदि किसी रोकी गई वेतनवृ-
या दक्षातारोक का मामला अस्तित्व
में न हो या कोई आडिट आपत्ति
का निस्तारण अवश्योष्ण न हो।
रजिस्टर में दर्ज सभी मामलों का
अंतिम निस्तारण हो जाने वे रजिस्टर
समाप्त हो जाते के पाँच वर्ष बाद
सभी दर्ज मामलों का अंतिम निस्ता-
ण हो जाने या रजिस्टर समाप्त हो
के पाँच वर्ष तक।

सभी दर्ज प्रत्यावेदन/अपीलों के अंतिम
निस्तारण के पाँच वर्ष बाद।

सभी वर्ग कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति
के पाँच वर्ष बाद, यदि कोई अगत्याकास्त
के मामले अवश्योष्ण न रह गये हैं।

तृदैव

तृदैव सेवा निवृत्ति के बाद संबंधित
कर्मचारी को उसकी प्राथना पढ़ देते हो
जाय।

सभी मामलों में नियुक्ति आदेश की
प्रति वैयक्तिक पत्रावली पर रखो जा-
के 10 वर्ष बाद।

10 वर्ष।

5 वर्ष

महातेलाकार, 10प्र० का आडिट हो
जाने के 3 वर्ष बाद। अपील एवं प्रत्यावेदन
के अंतिम निस्तारित होने के 10 वर्ष
महातेलाकार, 10प्र० का आडिट हो
जाने के 3 वर्ष बाद।
महातेलाकार, 10प्र० का आडिट हो
जाने के 3 वर्ष बाद।

लेखा-3-

1- यात्रा भूत्ता प्रकरण

2- टी०स०विल तथा टी०स० चेक रेजिस्टरैवित्तीय नियम संग्रह, छांड ५भाग-। का पैरा। १९॥

3- बजट प्राविधान के समक्षा व्यय की राशियों की पत्रावली ।

4- प्रासारिक व्यय पंजी ४कि-न्टर्नेन्ट राजस्टरैवित्तीय नियम संग्रह छांड-५ भाग-। का पैरा। ३५॥

5- वक्तव्य विल पंजी तथा भूत्तान पंजी ४स्क्रीटेंस रेलैवित्तीय नियम संग्रह छांड-५भाग-। का पैरा। ३८ फार्म ।।-बी ४।

6- विवर रेजिस्टर ।।-सी, वित्तीय नियम संग्रह छांड-५ भाग-एक का पैरा। ३९।

7- कैश बुक

8- टेजरी विल रेजिस्टर

रेजिस्ट्रा संख्या: २१५८/सोलह८७।४/६९-डी०टी०-
दिनांक ७-५-७० व्वारा निधारित ।

9- रेतवे रसीद, रेजिस्टरैआर०आर०रेजिस्टरै

10- टेनीफोन टकात रेजिस्टर

11- मासिक व्यय पंजी/पत्रावली

12- बिल इनकैश मेंट पंजी ४वित्तीय नियम संग्रह
छांड-एक भाग-एक का पैरा ५७-स४।

13- ए०स०स०र०र०पैरेंग स्ट्रैपड रसीद रेजिस्टरै
रेजिस्ट्रा न०: ए-।-१५०/दस-१०८२।।/६०
दिनांक २८-५-६९ तथा ए-।-२८७०/दस-।५
१५।।७९ दिनांक ।०।।।७९

14- टी०स० कन्ट्रोल रेजिस्टर

15- रसीद बुक इशा रेजिस्टरैटेजरी फार्म नं०३८५।
वित्तीय नियम संग्रह छांड-५ भाग-। का पैरा। २६।

16- परमनेट इंजिनियरिंग रेजिस्टरैवित्तीय नियम संग्रह छांड-५ भाग-। का पैरा। ०७।।५।।

17- वैल्युरीविल रेजिस्टरैवित्तीय नियम संग्रह छांड-५ तदैव।
भाग-एक का पैरा। ३९।।

आडिट हो जाने के एक वर्ष बाद ।

आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद ।

महालेखाकार से अंतिम सत्यापन व समाय जन हो जाने के एक वर्ष बाद ।

विवर यदि कोई आडिट आपत्ति का निस्तरण अवश्योषा न हो।

पेतीस वर्ष । वित्तीय नियम संग्रह, छांड-५ भाग-एक का पैरा। ४५ परिशिष्ट-। ६५ के अनुसार ।

आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद ।

आडिट हो जाने के बारह वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवश्योषा न हो ।

पर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति न हो ।

पर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद, यदि कोई आडिट आपत्ति न हो ।

पर्ण होने तथा आडिट आपत्ति न होने तथा कोई विल भूत्तान हेतु शोषा न हो की दशा में एक वर्ष ।

व्यय के महालेखाकार के सम्यापन तथा अंतिम समायोजन के पश्चात दो वर्ष ।

समाप्त होने के तीन वर्ष बाद, यदि कोई आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवश्योषा न हो और न तो किसी धानराशि के अपहरण, चोरी, डैक्टी आदि की धाटना हो ।

महालेखाकार के आडिट आपत्तियों के निस्तारण हो जाने के पाच वर्ष बाद ।

समाप्त होने पर तीन वर्ष बाद, यदि निधारित एलाटमेट से अधिक व्यय किये जाने का मामला विवाहागाध्यका/शासन क विचाराधीन न हो ।

इस वर्ष यदि किसी रसीद बुक के खाते जाये इन के गवन के मामले अनिस्तारित न हो तथा महालेखाकार का आडिट हो न्हु हो ।

स्थायी सम से ।

- 18- इप्सीलेट रोजिस्टर ४ वित्तीय नियम स्थायी सम से ।
संघें छाड़ -5 मांग-। का पैरा -28 ₹ 10
19- जापासी भवनों का फिराया पंजी ४ कार्य 278 - रोजिस्टर समाप्त होने पर तीन वर्ष यहि वित्तीय नियम संग्रह छाड़ -5 मांग-। का पैरा -265 कोई अवधिकराएँ की बस्ती का प्रकरण या आडिट शापत्तियों का निस्ता ।
- 20- महालेखाकार ३०५० से प्राप्ति तथा व्यय के - ऑफिचो के पर्व सत्यापन मितान एवं एग्रोप्रिशन छकाउन्ट को अंतिम करने के पश्चात 2 कर्ण ।
- 21- राइट ऑफ हानियाँ महालेखाकार, ३०५० का आडिट हो जाने के ३ वर्ष बाद यदि कोई प्रकरण लाभवत न रह गया ।
- 22- महालेखायी भन और भाडार के दुर्विनियोग प्रकरण के पार्ष निस्तारण हो जाने एवं महालेखाकार ३०५० का आडिट हो जाने के ३ वर्ष बाद गलत ।
- 23- भावास दाता एवं अन्य भावाता महालेखाकार ३०५० का आडिट हो जाने के ३ वर्ष बाद ।
- 24- नामि तथा भवन पंजी ४ वित्त हस्त प्रस्तक छब्ब मांग-। के पश्चात -265 ₹ १० स्थायी सम से ।

आर०५० बाजपेई

उप मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय,
कृते मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय,
उत्तर प्रदेश, इताहाबाद ।

समाप्त पत्रावलियों को अभिलेखांगार में संस्थय दाखिला एवं अभिलेखांगी का विनिष्टोकरण-

कार्य कुरातता इवं दक्षता बढ़ाने का अच्छ उपाय ।

सरकारी कार्यालयों में आवश्यकता पड़ने पर । - पत्रावलियों को छोता जाना, 2- पत्रावलियों पर निर्णय तिया जाना एवं 3- कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त अभिलेखांगार में पत्रावलियों को दाखिल करना स्थापित व सतत प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया में किसी भी कई पर वाचित कार्यवाही न होने अथवा कार्यवाही में शिक्षितता होने के कारण न केवल कार्य का बोझ बढ़ जाता है बल्कि एक स्तर पर सम्पूर्ण प्रक्रिया कुन्द एवं मन्द हो जाती है । इसके अतिरिक्त प्रक्रिया की विभिन्न कड़ियों में समरसता / सुगमता होने के स्थ पर धारणा संषार्ष पैदा हो जाता है । परिणामतः न लेवल कार्यलिय की कार्यदक्षता कुप्रावित होती है । बल्कि कर्मचारियों के परस्पर संबंध भी तनावयुक्त हो जाते हैं जो कि संस्था के तिस अपने लघु प्राप्ति के दृष्टिकोण से कदाचित् नहीं है उदाहरण के तिस संस्था के तिस अपने लघु प्राप्ति के दृष्टिकोण से कदाचित् नहीं है उदाहरण के तिस किसी भी कर्मी के पास वर्तमान में समाप्त पत्रावलियों का जमावडा बने रहने से आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सहायक से वाचित पत्रावली नहीं मिल पाती है जिससे न केवल उसका अमृत्य समय नष्ट होता है बल्कि कार्य समय से न होने के कारण साथी कर्मियों एवं उच्चाधिकारिय को झुकाताहट होती है ।

गत वर्ष के प्रारम्भ में मधुरा कलेक्टेट व अन्य कार्यलिय में उपरोक्त धारण की पुष्टि होती हुई मिली जब देखा गया कि अधिकारिय सहायकों के पास ह्लारों की संख्य में पत्रावलियों तास्ति है । उनमें से कई पत्रावलियों ऐसी दृष्टि जिससे संबंधित प्रकरण या तो समाप्त हो गये थे या जो वर्तमान में विचाराधीन नहीं थे । ऐसी पत्रावलियों साथ साथ वर्तमान में प्रचलित पत्रावलियों भी सहायकों की आत्मारियों में पाई गई । ऐसी पत्रावलियों में अधिकारिय स्थ से मिम्न पत्रावलियों अव्यवस्थित स्थ से पाई गई :-

- 1- रीस्ट्रेटाइसेन्सों की स्वीकृति से संबंधित पुरानी पत्रावलियों जो अब निस्तारित हो चुके हैं ।
- 2- विभिन्न न्यायालयों में किसी समय विचाराधीन ऐसे वादों की पत्रावलियों जो अब संबंधित पत्रावलियों ।
- 3- जितेक मे कई वर्ष पूर्व भ्रमण पर आये गणमान्य व्यक्तियों के कार्यक्रमों व व्यवस्थाओं से संबंधित पत्रावलियों ।
- 4- ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों जो कई वर्ष पूर्व स्थानान्तरति अथवा सेवानिवृत्त हो चुके हैं की सेवा संबंधी पत्रावलियों ।
- 5- कलेक्टेट मे गत वर्षों में क्रूय किये गये सामान से संबंधित पत्रावलियों ।
- 6- पुराने पत्रावार की पत्रावलियों ।
- 7- पुराने रजिस्टर, बिल बुक आदि ।
- 8- संग्रह अनुभाग के पुराने डिमान्ड रजिस्टर, बिल बुक तथा दैवी आपदा से संबंधित अभिलेखा आदि ।
- 9- कई कई वर्ष पुराने जिन्सवार व उसी तरह के अन्य अभिलेखा ।
- 10- विवेकाधीन कोष की पूर्व के वर्षों की पत्रावलियों ।

अनावश्यक पत्रावलियों के होने तथा लक्ष्य उनमें आवश्यक पत्रावलियों के लिये होने के स्थानात्मक पत्रावलियों के होने तथा लक्ष्य उनमें आवश्यक पत्रावलियों के लिये होने के कारण सहायकों की कार्यक्रमता पर उनके न चाहते हुये भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था । कारण सहायकों को गंभीर पाते हुये ज्ञानकेट मे समाप्त एवं अनावश्यक पत्रावलियों को दाखिल करने स्थानिक को गंभीर पाते हुये ज्ञानकेट मे समाप्त एवं अनावश्यक पत्रावलियों को दाखिल करने

-2-

तथा अभिलेखागार में पुरानी पत्रावलियों के विनिष्टीकरण के कार्य को आधायान के सम में चलाया गया। उक्त अधिकायान का प्रतिदिन अनुश्रवण करके निर्देश दिये गये। परिणामतः दिनांक 1-6-98 से 31-5-99 तक अभिलेखागार में पत्रावलियों के दूरिताले से विनिष्टीकरण नहीं स्थाति नियमानुसार रही।

विनिष्टीकरण दार्ढिला

आगल अभिलेखागार	8,513	725
राजस्व अभिलेखागार	17,105	5534

उक्त के फलस्वस्त्र वर्तमान में सधीं सहायकों के पास काफी कम संख्या में पत्रावलियों तबित है तथा पुरानी पत्रावलियों को उन्हे ज्ञानकारी है वह अभिलेखागार में दार्ढिल कर दी गई है। इस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही प्रकार की पत्रावलियों बड़ी ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है तथा जहाँ पत्रावलियों को दुर्घटने से सहायकों को लई कई सप्ताह का समय लग जाता था वहाँ वर्तमान में त्वरित गति अद्यावा स्क दो दिन में ही पत्रावलियों का नियमानुसार हो जाता है।

इस प्रकार पत्रावलियों के समय दार्ढिले तथा नियमानुसार विनिष्टीकरण से जहाँ संबंधित सहायकों तथा अधिकारियों को कार्य में सुगमता हुई है वहाँ संबंधित आपेक्षक /वादकारी की प्रशासन के प्रति आस्था बढ़ी है जिससे सधीं को राहत है तथा कार्यक्रमता में बृद्धि हुई है।

५० रुपये ० गोथल
जिलाधिकारी, मध्यारा।